

उत्तराखण्ड शासन  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,  
संख्या: 381 / 23-XIX-2 / 61 खाद्य / 2013  
देहरादून: दिनांक 01 जून, 2023

“सार्वजनिक सूचना”

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023 (प्रति संलग्न) को यथा प्रक्रिया अग्रेत्तर प्रख्यापित किये जाने से पूर्व प्रस्तावित नियमों के संबंध में, जिन व्यक्तियों का प्रभावित होना संभाव्य है, द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून, 248001 को प्रेषित किये जा सकते हैं।

(बृजेश कुमार संत)  
सचिव।

संख्या: 381 / 23-XIX-2 / 61 खाद्य / 2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य निजी, सचिव— मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव—समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य विभागीय वेबसाइट पर भी सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
7. आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लिथो प्रेस, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 25 प्रतियाँ खाद्य विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी, सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

संलग्नक—यथोक्त

(बृजेश कुमार संत)  
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, अनुभाग-2  
संख्या 380 /23-XIX-2/61 खाद्य/2013  
देहरादून:दिनांक: 01 जून, 2023

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और चूंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40 में राज्य सरकार को पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति निहित है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023 की अनंतिम अधिसूचना को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना से प्रभावित होने वाले हितधारी एवं जनसाधारण इस अधिसूचना से संबंधित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन के भीतर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून, 248001 को प्रेषित कर सकेंगे।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अनंतिम अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ           | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण (संशोधन) नियमावली, 2023 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।  |
| नये नियम 3-क का अंतःस्थापन          | 2. उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत निवारण नियमावली, 2013 (जिसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—   |
| आयोग का अध्यक्ष या सदस्य की पात्रता | “3-“क” कोई भी व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि—<br>(एक) उसने पैंतालीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो;<br>(दो) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो;<br>(तीन) वह किसी अपराध, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित हैं, के लिये दोष सिद्ध और कारावास से दण्डित किया गया हो; |

(चार) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो।”

नियम 4 का संशोधन 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित में से नियुक्त होंगे:-</p> <p>(क) जो अखिल भारतीय सेवा या संघ अथवा राज्य की किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य हैं या रहे हैं या कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषाहार, स्वास्थ्य या किसी सहबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन से संबंधित विषयों में ज्ञान और अनुभव रखने वाला संघ के अधीन सिविल पद धारित किया हो; या</p> <p>(ख) जो कृषि, विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषाहार, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव सहित सार्वजनिक जीवन में प्रख्यात व्यक्ति हो; या</p> <p>(ग) जो गरीबों के खाद्य और पोषाहार अधिकारों के सुधार से सम्बन्धित कार्य का सिद्ध अभिलेख रखते हों।</p>	<p>अध्यक्ष और अन्य सदस्य निम्नलिखित में से नियुक्त होंगे:-</p> <p>(क) जो अखिल भारतीय सेवा या संघ या राज्य की किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य हैं या रहे हैं या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारक हैं और जिन्होंने कृषि, खाद्य तथा रसद, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी सम्बन्धित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में या तो पृथक रूप से या सम्मिलित रूप से कम से कम दस वर्ष कार्य किया हो, या</p> <p>(ख) जो कृषि, विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषाहार, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन में कम से कम दस वर्ष के कार्य अनुभव के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक व व्यापक ज्ञान वाले सार्वजनिक जीवन का प्रख्यात व्यक्ति हो, या</p> <p>(ग) जो गरीबों के खाद्य और पोषाहार अधिकारों के सुधार से सम्बन्धित कार्य का सिद्ध अभिलेख धारक हो।</p> <p><b>स्पष्टीकरण-</b> इस नियमावली के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे व्यक्ति को कार्य हेतु सिद्ध अभिलेख धारक तब कहा जायेगा यदि उसने सम्बन्धित क्षेत्र में कोई राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो या सम्बन्धित क्षेत्र में अपने कार्य के लिये ऐसा पुरस्कार प्राप्त करते हुये किसी ख्याति प्राप्त संगठन के लिये कम से कम दस वर्षों के लिये कार्य किया हो एवं इस क्षेत्र में कोई शोध अथवा नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रकाशन किया हो।</p>

नियम 5 का संशोधन 4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 05 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिये पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्त के लिये पात्र होगा:</p> <p>परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।</p>	<p>(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;</p> <p>राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 या इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित रीति के सिवाय उन्हें इससे पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे अपने कार्यकाल में पद से हटाया नहीं गया हो, एक अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा;</p> <p>परन्तु यह कि, कोई भी व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या सदस्य के रूप में</p>

	<p>पद धारण नहीं करेगा।</p> <p>(ख) आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर से अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।</p> <p>परन्तु यह कि, उपनियम (ख) के अधीन त्यागपत्र, राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकार्यता के दिनांक से प्रभावी होगा।</p> <p>(ग) अध्यक्ष और सदस्यों को, राज्य सरकार द्वारा गठित जाँच समिति के द्वारा अभिकथित तथ्यों की जाँच रिपोर्ट के आधार पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है।</p> <p>(घ) जाँच समिति, जाँच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी:—</p> <p>(एक) आरोपों के सार को आरोप पत्र के रूप में अल्पीकृत किया जायेगा और, यथास्थिति, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर उसकी तामील की जायेगी;</p> <p>(दो) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को अपने मामले को प्रस्तुत करने का एक अवसर अनुमन्य किया जा सकता है;</p> <p>(तीन) समिति के निष्कर्षों में आरोपों का विवरण यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य द्वारा दिये गये उत्तर, जाँच समिति का निर्धारण और आरोपों के पूर्ण या आंशिक निपटारे के बारे में उनका निष्कर्ष उपलब्ध कराया जायेगा;</p> <p>(चार) जाँच रिपोर्ट समिति द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।</p> <p>(पांच) नियम 3 के खण्ड (ग) के अन्तर्गत सदस्य सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा प्रशासनिक आदेश से की जायेगी।</p>
--	---

नियम 6 का संशोधन 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा अर्थात:—

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुये, राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिनके अन्तर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियाँ ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित करें।	<p>1. (क) खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी।</p> <p>(ख) चयन समिति का स्वरूप निम्नवत होगा:—</p> <p>(एक) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन— अध्यक्ष,</p> <p>(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग— सदस्य,</p> <p>(तीन) सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक</p>

2. चयन समिति निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी:-

**अध्यक्ष का चयन :-**

चयन समिति द्वारा सर्च एवं सेलेक्शन कमेटी की शीति के माध्यम से अध्यक्ष के चयन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगी।

**सदस्य का चयन :-**

(क) सदस्य के रिक्त पद के सापेक्ष व्यापक प्रचार प्रसार के उपरान्त निर्धारित अर्हताओं के साथ आवेदन आमंत्रित करेगी।

(ख) चयन समिति प्राप्त आवेदनों की सम्यक जाँच/मूल्यांकन करेगी। तत्पश्चात अपनी टिप्पणी एवं संस्तुति राज्य सरकार को विचारण के लिए भेजेगी।

3. राज्य खाद्य आयोग की बैठकों हेतु समय, स्थान एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में-

(क) आयोग राज्य के दोनों मण्डलों में अनिवार्य रूप से वर्ष में कम से कम 02 बैठक करेंगे, जो, प्रत्येक 06 माह के अन्तराल में होगी तथा बैठक का समय एवं स्थान अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग द्वारा नियत किया जायेगा।

(ख) राज्य खाद्य आयोग की बैठक की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(एक) राज्य खाद्य आयोग के सम्बन्ध में गणपूर्ति हेतु उपलब्ध संख्या का दो तिहाई या अध्यक्ष के अतिरिक्त 01 सदस्य होना अनिवार्य होगा।

(दो) सदस्य सचिव, अध्यक्ष द्वारा निर्देशित अन्य अधिकारियों के साथ राज्य खाद्य आयोग की बैठकों का आयोजन करेंगे।

(तीन) सदस्य सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से राज्य खाद्य आयोग की बैठकों हेतु एजेण्डा तैयार करेंगे।

(चार) आयोग के सभी विनिश्चय या तो सर्वसम्मति से या अध्यक्ष तथा सदस्य सदस्य सचिव को सम्मिलित करते हुए उसके सदस्यों के बहुमत के आधार पर होंगे।

(पांच) अध्यक्ष के मत का मान सदस्यों के मत के ही समान होगा।

4. जाँच और अपील की सुनवाई के लिये आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(क) आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकरण में कार्यवाही करने के लिये शिकायत में प्रथम दृष्टया तत्व मौजूद है;

(ख) यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया आधार है तो वह प्रकरण में कार्यवाही करेगा। इस

	सम्बन्ध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 20 यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।
--	--

नियम 9 का संशोधन 6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य सचिव और सहायक कर्मचारी के वेतन और भत्ते तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिये अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध करायेगी।	<p>9 (1) अध्यक्ष और सदस्यों को इस नियमावली से अनुलग्न अनुसूची "क" में यथा उल्लिखित वेतन का भुगतान किया जायेगा;</p> <p>परन्तु यह कि जहाँ अध्यक्ष या कोई सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हो या संघ क्षेत्र प्रशासन, अर्ध शासकीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था का सेवानिवृत्त पदधारी हो, तो पेंशन के साथ देय वेतन या सेवानिवृत्तिक प्रसुविधाओं का पेंशन सम्बन्धी मूल्य (पेंशनरी वैल्यू), जो वह प्राप्त करेगा, इस उपनियम के अन्तर्गत देय वेतन से अधिक न होगा।</p> <p>(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने वेतन हेतु समुचित दरों पर जैसा उसके समकक्ष पंक्ति के राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुमन्य है, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे।</p> <p>(3) अध्यक्ष यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों से सम्बन्धित अपने बिलों के सम्बन्ध में स्वयं अपना नियंत्रक अधिकारी होगा, वह आयोग के सदस्यों के बिलों को भी अनुमोदित करेगा।</p> <p>(4) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें जिनके लिए इस नियमावली में कोई उपबन्ध अभिव्यक्त रूप से नहीं किया गया है, ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेगी।</p> <p>(5) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत कार्यरत अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्तें, चिकित्सा उपचार तथा सेवा की शर्तें वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।</p>

नये नियम 10क का अन्तःस्थापन 7. मूल नियमावली में नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा अर्थात;

"10-क आयोग की परामर्शी भूमिका- (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (क), (ग) तथा (घ) के अधीन गिनाये गये मामलों पर आयोग ऐसी संस्तुतियों कर सकता है या परामर्श दे सकता है जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों और परामर्श पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन की गई संस्तुति या परामर्श राज्य सरकार पर

बाध्यकारी न होगी।”

नियम 12 का संशोधन 8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम 12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>राज्य सरकार एक आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अन्तर्गत कॉल सेन्टर, हेल्पलाईन, नोडल अधिकारियों का अभिहित किया जाना भी है, या ऐसा अन्य तंत्र, जो संशोधित सरकारों द्वारा विहित किया जाए, स्थापित करेगी।</p> <p>हकदारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण एवं निवारण के दृष्टिगत राज्य में ग्राम्य विकास विभाग में नरेगा में प्रयुक्त हो रही हेल्पलाईन को टोल फ्री नम्बर के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा।</p>	<p>राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अन्तर्गत कॉल सेन्टर, हेल्पलाईन, नोडल अधिकारियों का अभिहित किया जाना भी है, या ऐसा अन्य तंत्र, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, स्थापित करेगी।</p> <p>हकदारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण एवं निवारण के दृष्टिगत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मुख्यालय में स्थापित उपभोक्ता हेल्पलाईन को टोल फ्री नम्बर के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा।</p> <p>उपभोक्ता हेल्प लाईन में प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय से निवारण किये जाने, समीक्षा किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर उपायुक्त(मुख्यालय) नोडल अधिकारी होंगे। मण्डल स्तर पर सम्बन्धित मण्डल के उपायुक्त (खाद्य) नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला के जिला पूर्ति अधिकारी नोडल अधिकारी (हेल्प लाईन/आन्तरिक शिकायत निवारण प्रक्रिया) होंगे।</p>

नये नियम 12-क एवं 12-ख का अन्तःस्थापन

“12-“क” शिकायतों का पंजीयन

9. मूल नियमावली में नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किये जाएंगे अर्थात्:-

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 के अधीन हकदार को, खाद्यान्नों या भोजन के वितरण से सम्बन्धित मामलों में, व्यथित व्यक्ति या संस्था, द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला शिकायत निवारण अधिकारी के सम्मुख सादे कागज में लिखित रूप में डाक द्वारा अथवा शिकायत बॉक्स में डाल कर या ई-मेल या हेल्पलाईन नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

(2) हेल्पलाईन पर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्राप्त शिकायत को वाद के रूप में दर्ज करेंगे।

(3) शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम, पता, फोन नं० एवं शिकायत का विस्तृत विवरण दिया जाना होगा।

(4) यदि शिकायतकर्ता लिखित में अपनी शिकायत देने में असमर्थ है तो वह अपनी शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी के सम्मुख मौखिक रूप में दर्ज करा सकेंगे इस हेतु जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा उसे आवश्यक सहायता प्रदान की जायेगी।

(5) प्राप्त शिकायतों को जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा एक विशिष्ट शिकायत नम्बर प्रदान की जायेगी और आवेदक को उसकी सूचना दी जायेगी।”

जिला  
शिकायत  
निवारण  
अधिकारी

“12-ख” राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय 2 के अधीन हकदार को खाद्यान्न या भोजन के वितरण से सम्बन्धित मामलों में व्यथित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण हेतु प्रत्येक जिले के मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी होंगे, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं नियमावली में उल्लिखित जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे।”

नियम 13  
का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गए विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिये जाएंगे अर्थात्:-

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
13. जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के प्रतिस्थापित नियम	<p>(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के अध्याय 2 के अधीन हकदार को खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण से सम्बन्धित मामलों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र प्रभावी निवारण के लिये राज्य सरकार द्वारा इन हकदारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण और निवारण करने हेतु प्रत्येक जिले के लिये एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। इस कार्य हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।</p> <p>(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियाँ ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।</p> <p>(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति की पद्धति और निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेंगी।</p> <p>(4) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला शिकायत निवारण अधिकारी अन्य कर्मचारी के वेतन एवं भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का उपबंध करेगी, जो उनके उचित कार्यकरण के लिये आवश्यक समझे जायेंगे।</p> <p>(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, हकदार को खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किये जाने और</p>	<p>13. शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया एवं अपील</p> <p>13(1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियम, 12'क' के अधीन प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु:-</p> <p>(क) यह सुनिश्चित करेगा कि मामले में अग्रतः कार्यवाही करने के लिए शिकायत में प्रथम दृष्टया कोई सार है;</p> <p>(ख) यदि उसे यह पता चलता है कि शिकायत में कोई सार विद्यमान नहीं है, तो शिकायत को खारिज कर देगा;</p> <p>(ग) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में अग्रतः कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई आधार है, तो वह सम्बन्धित अधिकारी या व्यक्ति या संस्था, जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गयी है, से स्पष्टीकरण संगत अभिलेखों सहित प्राप्त करेगा;</p> <p>(घ) सम्बन्धित अधिकारी या व्यक्ति या एजेन्सी जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गयी है, स्पष्टीकरण संगत अभिलेखों सहित जिला शिकायत निवारण अधिकारी को 15 दिन के भीतर उपलब्ध करायेगा;</p> <p>(ङ) प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी, यदि संतुष्ट हो जाए, तो यह शिकायत के निवारण हेतु यथा सम्भव शिकायत प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आवश्यक आदेश/ निर्देश जारी करेगा;</p> <p>(च) यदि खण्ड (घ) में प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी, का यह समाधान हो</p>



उनसे सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों को सुनेगा तथा निवारण के लिये ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, तो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता या अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाईल करेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर फाईल की जायेगी, जो राज्य सरकार आदेश विहित करें।

जाय, कि उभयपक्षों को सुना जाना आवश्यक है, तो वह सुनवाई के लिए उभयपक्षों को समय, दिनांक और स्थान निश्चित करते हुये एक नोटिस जारी करेगा;

(छ) पक्षकारों की सुनवाई करेगा और ऐसे साक्ष्य प्राप्त करेगा जो सुनवाई के लिये नियत दिनांक को प्रस्तुत किये जा सकें या आवश्यक समझे जायें या नियत दिनांक को शिकायतकर्ता या उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित होने पर शिकायत को खारिज कर सकेगा;

(ज) कार्यवाही को पक्षकारों के निवेदन पर या स्वप्रेरणा से मूल्य के साथ या बिना मूल्य के किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित करेगा।

(झ) जाँच के पश्चात् शिकायत निवारण के सम्बन्ध में निर्णय करेगा।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन वितरण न किये जाने और उससे सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिये 90 दिनों के भीतर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी इस प्रकार निस्तारित शिकायतों की मासिक सूचना आयुक्त खाद्य तथा सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्येक माह के 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(4) जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश जारी होने की 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपील दायर करेगा।

परन्तु यह कि आयोग 30 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा बशर्ते यह समाधान हो जाये कि अपीलार्थी को निर्धारित समय के भीतर अपील न दाखिल करने के अपरिहार्य कारण रहें हों।

नये नियम  
14 एवं 15  
का  
अन्तःस्थापन

11. मूल नियमावली में नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे अर्थात्;

अभिलेखों का  
अनुरक्षण

“14(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को, ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में रखा जायेगा और जनता के निरीक्षण के लिये खुला रखा जायेगा।

इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय पोर्टल में निम्नलिखित सूचनायें सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा:-

- (क) समस्त उचित दर विक्रेताओं का नाम, पता व कार्यक्षेत्र;
- (ख) समस्त उचित दर विक्रेताओं से सम्बद्ध समस्त कार्डधारकों का नाम तथा विवरण;
- (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं में वितरण किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा व मूल्य प्रदर्शित किया जायेगा;
- (घ) सभी योजनाओं के लिए पात्रता सम्बन्धी सूचना का प्रकटीकरण किया जायेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28(1) के अनुसार जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यक्रम के सम्बन्ध में समय-समय पर सामाजिक सम्परीक्षा हेतु नामित किया जायेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 29 के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यक्रम तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक, नगर निकाय तथा ग्राम पंचायत के स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया जायेगा, उक्त समितियों में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्यों में स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

उक्त समितियों द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जायेगा :-

- (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन का नियमित रूप से परिवेक्षण करना।
- (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करना।
- (ग) उनके द्वारा पाये गये किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के सम्बन्ध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

शास्ति:-

14. (क) ऐसा कोई लोकसेवक या प्राधिकारी जिसे राज्य खाद्य आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अथवा उनके द्वारा सिफारिश किये गये अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जायेगा तभी राज्य खाद्य आयोग द्वारा पाँच हजार से अनधिक की

शास्ति आरोपित की जायेगी। अर्थात् राज्य खाद्य आयोग द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों से इतर प्रकरणों में सीधे शास्ति आरोपित नहीं किया जा सकेगा।

(ख) राज्य खाद्य आयोग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को की जायेगी।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)  
सचिव

अनुसूची- क  
(नियम 9(1) देखिये।)

नियम खाद्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के वेतनमान की सूची

क्र० स०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	अध्यक्ष	01	रु० 1,00,000 (नियत)
2	सदस्य	05	रु० 70,000 (नियत)
3	सदस्य सचिव	01	37,400-67,000 ग्रेड वेतन 8700,
4.	वरिष्ठ सहायक	01	निःसंवर्गीय पद अथवा विभागीय प्रतिनियुक्ति।
5.	सहायक लेखाकार	01	आउट्सोर्स के माध्यम से
6.	वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक	02	आउट्सोर्स के माध्यम से
7.	कनिष्ठ सहायक	02	आउट्सोर्स के माध्यम से
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	आउट्सोर्स के माध्यम से
9.	वाहन चालक	02	आउट्सोर्स के माध्यम से

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)  
सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of articles 348 of 'the Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.:- Dehradun, dated: June, 2023 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Food, Public Distribution and Consumer Affairs Section-2**  
**No:-390/23-XIX-2/61 Food/2013**  
**Dehradun, Dated : 01 June, 2023**

**Notification**

Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient to do so;

And Whereas, powers to make rules under the conditions of prepublication is vested in State Government under section 40 of the National Food Security Act, 2013;

Now therefore, the Governor publish the provisional notification of the Uttarakhand State Food Commission and District Grievance Redressal (Amendment) Rules, 2023 in Official Gazette of general information.

The Governor directs that the stake holders and general public likely to be affected by this notification may, within 30 days of publication of this notification in official gazette forward any representation and objections related to this notification to Secretary Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department, Government of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun, 248001.

The Governor also directs that no representation after the said time period shall be accepted.

**Provisional Notification**

**The Uttarakhand State Food Commission and District Grievance Redressal  
(Amendment) Rules, 2023**

- |  |   |
|--|---|
| <b>Short title and commencement</b>                            | 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand State Food Commission and District Grievance Redressal (Amendment) Rules 2023.<br>(2) It shall come into force at once.  |
| <b>Insertion of new rules 3-A</b>                              | 2. In the Uttarakhand State Food Commission and District Grievance Redressal Rules, 2013 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 3, the following rule shall be inserted, namely-  |
| <b>Eligibility of Chairperson and member of the commission</b> | 3-A No person shall be eligible for appointment as Chairperson or member of the Commission, if<br>(i) he has not completed the age of 45 years;<br>(ii) he is undischarged insolvent;<br>(iii) he is convicted and sentenced for imprisonment of any offence, which in the opinion of State Government involves moral turpitude.<br>(iv) he has been declared unsound mind by any competent court." |
| <b>Amendment of rule 4</b>                                     | 3. In the principal rules, for the existing rule 4 set out in column-I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-   |

**Column -1  
Existing rule**

The Chairperson and other members shall be appointed from the following:-

- (a) Who are or were the members of All India Services or Union or any other civil services in State or held any civil post under Union having knowledge and experience in Food protection, policy making and administration related matters in Agriculture, Civil Supply, Nutrition, Health or in allied field, or
- (b) Who are the eminent person in public life with vast knowledge and experience in Agriculture, Law, Human Rights, Social Management Nutrition, Health, Food Policy or Public Administration
- (c) Who holds the proved documents related to reform of food and nutrition rights of the poors.

**Column- 2  
rule hereby substituted**

The Chairperson and other members shall be appointed from the following-

- (a) Who are or were the members of All India Services or Union or any other civil services in the State or any civil post bearer under the Union or State and has separately or collectively have worked for minimum ten years in the field related to Agriculture, Food and Supply, nutrition, health or in the matters of food protection, policy making and administration; or
  - (b) Who are the eminent person in public life with vast knowledge and 10 years experience in Agriculture, Law Human Rights, Social Works Management, Health, Administration Food Policy Public with minimum qualification graduate, or
  - (c) Who is holder of proved documents related to reform of food and nutrition rights of the poors.
- Explanation: for the purpose of these rules, any such person, for work, shall be called proved document holder, if he has received any state, national or international award in the concerned field or while receiving such award for his work in the concerned field has worked for any reputed organization, for at least ten years and have researched or published policy making in this field.

**Amendment of rule 5**

4. In the principal rules, for the existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

**Column -1  
Existing rule**

The Chairperson and every other member, from the date he enters his office, shall hold post for the term not exceeding five years but he shall be eligible for reappointment:

Provided that no person shall hold the post as Chairperson or other member after attaining the age of sixty-five years.

**Column- 2  
rule hereby substituted**

- (a) The Chairperson and members, from the date of entering the office shall hold the post for the term not exceeding five years;

Save as otherwise provided in the National Food Security Act, 2013 or these rules, they shall not be removed. The Chairperson or any member who had not been removed during his term shall be eligible for reappointment for one more term:

Provided that no person shall hold the post as Chairperson or other member after attaining the age of sixty five years.

- (b) The Chairperson or any member may resign from his post addressing the State Government, under his hand:

Provided that the resignation under sub rule (b)

shall be applicable from the date of its acceptance, by the State Government.

(c) The Chairperson or member may be removed from the post in compliance of the provision of sub-section (9) of the section 16 of the National Food Security Act, 2013 by the State Government on the basis of the inquiry report of alleged facts, by the inquiry Committee constituted by the State Government.

(d) The inquiry committee for inquiry, shall follow the following procedure-

- (i) The substance of charges shall be summarized in the form of charge sheet and be served on the Chairperson or member of commission, as the case may be.
- (ii) The Chairperson or member, as the case may be permitted to submit his matter once.
- (iii) In the findings of the committee, the details of charges, the answers given by the Chairperson or member as the case may be, determination of the inquiry committee and findings on whole or partly disposal on charges, shall be provided.
- (iv) The inquiry report shall be submitted to State Government, by the committee.
- (v) The appointment of the Member Secretary under clause (c) of rule 3 shall be made from the Food, Public Supply and Consumer Affairs Department on the basis of deputation or administrative order, by the State Government.

**Amendment of rule 6**      5. In the principal rules, for the existing rule 6 set out in column-I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

**Column -1**  
**Existing rule**

The manner of appointment and other terms and conditions under which the appointment of Chairperson, other members and member-secretary of State Commission may be appointed and the time, place and procedure of the meetings of State Commission (the quorum of such meetings included ) and powers shall be such as the State Government by order, prescribe.

**Column- 2**  
**rule hereby substituted**

- 1.(a) The appointment of Chairperson and members of commission shall be made on the recommendations of the selection committee constituted under clause(b), by the State Government.
- (b) The structure of selection committee shall be as follow-
  - (i) Chief Secretary, Uttarakhand Government Chairperson;
  - (ii) Principal Secretary/ Secretary Law Department ; Member;
  - (iii) Secretary/ Principal Secretary Food, Public Supply and Consumer Affairs Department, Uttarakhand-Member secretary;

2. The selection committee shall follow the following procedure-

**Selection of Chairperson** - The selection committee shall forward the proposal of selection of Chairperson through the manner of search and selection committee, to State Government.

**Selection of Member-** (a) After the wide circulation for the vacant post of member, the application shall be invited with prescribed qualifications.

(b) The selection committee shall duly scrutinize / evaluate the received application. Thereafter shall forward its recommendations and remarks to State Government for consideration.

3. Regarding the time, meetings and procedure of meetings of the State Food Commission

(a) The Commission shall compulsorily meet two times in a year in both the commissionaires, which shall be in every six months interval and the time and place of meetings shall be fixed by the Chairperson State Food Commission.

(b) The procedure of the meeting of the State Food Commission shall be as follows-

(i) for the quorum of the meeting of the State food commission 2/3 of available number or one member besides the Chairperson is necessary.

(ii) The member-secretary shall organize meetings of State Food Commission with the other officers directed by the Chairperson .

(iii) The member secretary with the consultation of Chairperson shall prepare agenda for the meetings of the State Food Commission.

(iv) The all decisions of the commission shall be done either on consensus or on the basis of majority of members including the Chairperson and member-secretary.

(v) The value of vote of Chairperson shall be equal to the vote of members.

4. The procedure, to be followed by the commission for disposal of inquiry and appeal shall be as follows-

(a) The commission shall ensure that prima facie elements to take action is present in the complaint.

(b) *If* the commission is satisfied that there are prima facie elements to take action, it shall proceed in the matter. The section 20 of the National Food Security Act, 2013 shall mutatis mutandis apply in this regard.



**Amendment of rule 9**

6. In the principal rules, for the existing rule 9 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

**Column -1  
Existing rule**

The State Government shall provide for salary and allowances of the Chairperson, other members, members-secretary and other administrative expenses Chairperson required for the proper functioning of office the State Commission.

**Column- 2  
rule hereby substituted**

(1) The Chairperson and members shall be paid the salary as mentioned in scheduled 'A' annexed with these rules:

Provided that where the chairperson or any member is retired government officer or retired official of Union Territory Administration, Semi-Government body, Public Sector Enterprise, recognized research institution, the pensioner value of retirement benefits or salary payable with pension, which he receives shall not be more then the salary payable under this sub-rule.

(2) The Chairperson or any member for their salary shall be entitled to draw such D .A, travelling allowance and daily allowance with such appropriate rate as permissible to the equivalent officers of their rank in the State Government.

(3) The Chairperson shall be- controller officer regarding his bills of travelling allowance and daily allowance, he shall also approve the bills of the members of the commission.

(4) The conditions of service of Chairperson and members, for which no provision is expressly made in these rules, shall be such as determined by the State Government.

(5) The conditions for the service and pay allowances, medical treatment of Chairperson , members and staff working in the commission under subsection (I) of section 16 of the National Security Act, 2013 shall be such as prescribed by the State Government from time to time.

**Insertion of new rule 10-A**

7. In the principal rules, after rule 10 the following rule shall be inserted, namely-

**Advisory role of the  
commission**

10-A. (I) The commission under the matters enumerated under clause (a),(c) and ( d) of subsection (6) of section 16 of the National Food Security Act, 2013 may make such recommendation or advice as it may deem necessary.

(2) The State Government may take such action on the recommendations and advice made by the commission under sub-rule (1), as it may deem proper:

Provided that the recommendation or advice made under this sub rule in not binding on the State Government.

**Amendment of rule 12**

8. In the principal rules, for the existing rule 12 set out in column-I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

**Column -1**

**Existing rule**

The State Government shall establish a internal grievance redressal system under which call centre, helpline and designation of nodal officers or any such mechanism as prescribed by the State Government shall be included.

In view of enforcement of entitlement, investigation and disposal of complaints the toll free number of complaints the toll free number used in NAREGA in the Rural Development Department of the State shall be used.

**Column- 2**

**rule hereby substituted**

The State Government shall establish a internal grievance redressal system under which call centre, helpline and designation of nodal officers or any such mechanism as prescribed by the State Government shall be included.

In view of enforcement of entitlement investigation and disposal of the complaints the consumer toll free number established in the head quarters of Food, Public Supply and Consumer Affairs Department shall be used.

For timely disposal, review of the complaints received in the consumer help line, Assistant Commissioner (Headquarters) shall be Nodal Officer at headquarters level. At division level, the concerned Assistant Commissioner (Food) shall be nodal officer. At district level, the District Supply Officer (help line/internal complaint disposal procedure) of concerned district shall be nodal officer.

**Insertion of new rules 12-A and 12-B**

9. In the principal rules, after rule 12 the following rules shall be inserted, namely-

**Registration of complaints**

**12-A.** (1) The aggrieved person or institution may in the matters related to distribution of food grains or food to the entitled person under chapter 2 of the National Food Security Act, 2013, register their complaint in written in plain paper by post before the District Grievance Redressal officer of the concerned district or by dropping in the complaint box or by e-mail or by helpline number.

(2) The complaint received so in the helpline shall be registered as suit.

(3) In the complaint letter, the complainant shall provide his name, address, phone number and detailed description of the complaint.

(4) If the complainant is unable to give his complaint in written, he may orally register his complaint before the District Grievance Redressal Officer. For this, the necessary assistance shall be provided to him, by the District Grievance Redressal Officer.

(5) The complaints received shall be given unique complaint number by the District Grievance Redressal Officer and information shall be given to the applicant.

**District Grievance Redressal Officer**

**12-B.** For immediate and effective disposal of the complaints received from the aggrieved persons in the matters related to distribution of food grains or food to the entitled persons under chapter 2 of the National Food Security Act, 2013, the Chief Development Officer of every district shall be District Grievance Redressal Officer, they shall perform the duties and responsibilities of District Grievance Redressal Officer mentioned in the National Food Security Act, 2013 and rules.

**Amendment of rule 13**      10. In the principal rules, for the existing rule 13 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

	<b>Column -1</b>		<b>Column- 2</b>
	<b>Existing rule</b>		<b>rule hereby substituted</b>
<b>13.Substituted rule for appointment of District Grievance Redressal Officer</b>	<p>(1) A District Grievance Redressal Officer shall be appointed in every district for the immediate and effective redressal fo the complaints of aggrieved person in the matter related to distribution of food grains and food to the persons entitled under chapter 2 of the National Food Security Ordinance, to enforce these entitlements, investigation and redressal of complaints by the State Government. For this work the Chief Development Officer of the concerned district shall discharge the duties and responsibilities of the District Grievance Officer.</p> <p>(2) The qualifications for the appointment District Redressal Officer and his powers shall be such as prescribed by the State Government.</p> <p>(3) The manner and terms and conditions for appointment as District Grievance Redressal Officer shall be such as prescribed by the State Government. State</p> <p>(4). Government shall make the provision for the salary and allowances and other expenses for appointed District Grievanc Redressal officer and e other staff, as deem necessary for their proper functioning.</p> <p>(5) The officer referred in sub rule (1) shall hear the complaints regarding non-distribution of food</p>	<b>13.Procedure and disposal of complaints and Appeal</b>	<p>(1) The District Grievance Redressal officer, for the disposal of complaints received under rule 12-A</p> <p>(a) shall ensure that there is prima facie substance in complaint to take further action;</p> <p>(b) if he finds that there is no substance in the complaint he shall dismiss the complaint;</p> <p>(c) if he is satisfied that there are prima facie grounds for taking further action in matter, he shall call clarification with relevant documents from the related officer or person or institution against whom the complaint has been registered.</p> <p>(d) the concerned officer or person or agency against whom the complaint has been registered shall made available the the clarification with relevant documents within fifteen days to the District Grievance Redressal Officer.</p> <p>(e) on the clarification received, District Grievance Redressal Officer if satisfied, he shall within thirty days of receiving complaint as far possible, issue necessary order/instructions.</p> <p>(f) if on the clarification on received under clause (d), the District Grievance Redressal Officer is satisfied that, it is necessary to hear both parties, he shall issue a notice to both parties, fixing time, date and place for hearing.</p> <p>(g) the District Grievance Redressal Officer shall hear the parties and receive such evidence which may be produced or deemed necessary on the fixed date of disposal or may dismiss the complaint in absence of complainant or his representative on the fixed date.</p> <p>(h) shall postponed the proceedings on the request of the parties or su-moto with costs or without cost, for some other date.</p> <p>(i) After inquiry shall take decision regarding redressal of the complaint.</p>

grains or food to the entitled person and shall take necessary action for redressal in such manner and within such time prescribed by the State Government.

(6) Any such complainant or officer or authority against whom the order has been passed by the officer referred in sub rule(1), who is not satisfied with the redressal of the complaint may file an appeal against such order, to State Commission.

(7) Every appeal under sub rule ( 6) may be filed in such manner and within such time as the State Government may by order prescribe

(2) The District Grievance Redressal Officer shall hear the complaints regarding the non- distribution of food grains and foods and related matters, to entitled person and take necessary action for redressal within ninety days.

(3) The District Grievance Redressal Officer shall essentially made available the monthly information of disposed complaints til seventh (7) day of every month to Commissioner Food and Secretary/ Principal Secretary Food, Public Supply and Consumers Department.

(4) Any person aggrieved from the order passed by the District Grievance Redressal Officer may file an appeal before the commission within thirty days of such order:

Provided that the commission may entertain the appeal after the completion of said thirty days if he is satisfied that there exists evitable grounds to appellate to file the appeal within the prescribed time.

**Insertion of new rules 14 and 15**

11. In the principal rules, after rule 13 the following rule shall be inserted, namely-

**Maintaining the records**

14-1 All documents related to targeted public distribution system under section 27 of the National Food Security Act, 2013 shall be kept in principal place and shall be open for inspection of public in such manner as prescribed by the State Government.

Under this, display of following information in principal public area In departmental portal shall be ensured-

(a) Name, address and working place of all Rations Shops (fair price vendors).

(b) Names and details of all card holders connected with all fair vendors (Ration shops)

(c) The quantity and price of all food grains, to be distributed in all schemes under the National Food Security Act, 2013.

(d) Eligibility information for all schemes shall be disclosed. For social inspection of ration shops (Fair Price Shops), targeted public distribution system and implementation of other welfare schemes, members shall be appointed through Zila Panchayat, Kshetra Panchayat, Municipal Corporation/ Municipality/ Nagar Panchayat and Gram Panchayat according to section 28(1) of the National Food Security Act, 2013.

The vigilance committees shall be constituted for the transparency

and proper implementation and for ensuring responsibility of targeted distribution system at State, district, block, Nagar Nikay and Nagar Panchayat level according to section 29 of the National Food Security Act, 2013 in the above said committees due representation shall be given to local authorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women and disabled persons, in the person to be nominated by the Chairperson , at every level.

The following work shall be performed by the committees

(a) Regular supervision of implementation of all schemes under the National Food Security Act, 2013.

(b) to inform the District Grievance Redressal Officer about the contravention of any provision of the National Food Security Act, 2013.

(c) to inform in written to the District Grievance Redressal Chairperson regarding the misconduct or miss appropriation of funds, found by them.

### **Penalty**

15. (a) Any such public servant or authority, when found guilty if failing to provide the relief recommended by the State Food Commission in any complaint or while deciding appeal, against the order passed by the District Grievance Redressal Officer, without any reasonable cause or intentionally defiance such recommendations, only then the penalty not exceeding five thousand rupees shall be imposed, by the State Food Commission, viz. no penalty shall be directly imposed by the State Food Commission on the matters other than those received by the District Grievance Redressal officer.

(b) The appeal against the order passed by the State Food Commission, shall be made to the State Government.

By Order,



**(Brijesh Kumar Sant)**  
Secretary.